आईसीएआर–केन्द्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान

कृषि विज्ञान केन्द्र, पेटरवार बोकारो, (बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची)

झारखंड में अत्यधिक वर्षा की स्थिति को देखते हुए अपनाई जाने वाली आकस्मिक उपाय
झारखंड के अधिकांश जिलों में 17 जुलाई, 2025 तक प्रचलित अत्यधिक वर्षा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित आकस्मिक उपाय सुझाए जाते हैं:–

1. झारखंड का केन्द्रीय उत्तर–पूर्वी पठार क्षेत्र सबसे बड़ा है, जिसमें रांची से साहिबगंज, पाकुड़ तक के 14 जिले शामिल हैं, जबकि उप–क्षेत्र V (पश्चिमी पठार) में पलामू, गढ़वा, लातेहार आदि सहित सात जिले आते हैं।
2. झारखंड का दक्षिण–पूर्वी पठार क्षेत्र सबसे छोटा उप–क्षेत्र है, जिसमें केवल तीन जिले–पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम एवं सरायकेला–खरसावां-शामिल हैं।
3. झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 79.71 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से केवल 28 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खेती होती है।
4. धान राज्य की प्रमुख फसल है, जो सभी कृषि–जलवायु परिस्थितियों में खरीफ मौसम के दौरान 18 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में उगाई जाती है, जो राज्य के कुल कृषि क्षेत्र का 70% है।
5. राज्य में चार प्रकार की भूमि स्थितियाँ पाई जाती हैं –अपर भूमि (टाँड़), मध्यम अपर भूमि (Don III), मध्यम भूमि (Don II) और निम्न भूमि (Don I)।
6. अपर भूमि का क्षेत्रफल 10 लाख हेक्टेयर, मध्यम अपर भूमि 7 लाख हेक्टेयर, मध्यम भूमि 5 लाख हेक्टेयर और निम्न भूमि 6 लाख हेक्टेयर है।
7. जून से 17 जुलाई, 2025 तक हुई अत्यधिक वर्षा को ध्यान में रखते हुए, मध्यम अवधि की उड़द, सोयाबीन और रागी की किस्मों की बुवाई 7–10 अगस्त, 2025 तक रिज एवं फरो विधि से की जा सकती है।
8. अपर भूमि में आकस्मिक फसलों जैसे–नाइजर, कुल्थी, तोरिया और सब्जी मटर की बुवाई अगस्त और सितंबर, 2025 में की जा सकती है। मध्यम अवधि की अरहर (180–190 दिन) की बुवाई 7 सितंबर, 2025 तक की जा सकती है, जिससे नाइजर, कुल्थी और तोरिया की अपेक्षा बेहतर लाभ मिलेगा।
9. मध्यम अपर भूमि (Don III), जहाँ किसान सामान्यतः धान की रोपाई करते हैं, वहाँ इसे हतोत्साहित किया जाए। इसके स्थान पर अरहर, मक्का, ज्वार और बाजरा की किस्मों की बुवाई 7–10 अगस्त, 2025 तक रिज एवं फरो विधि से की जा सकती है।

10. अत्यंत संवेदनशील मध्यम अपर भूमि (Don III) में धान की सीधी बुवाई (DSR) उचित खरपतवार प्रबंधन के साथ की जा सकती है।
11. मध्यम और निम्न भूमि में जहाँ किसानों द्वारा धान की रोपाई की जा चुकी है, लेकिन अत्यधिक वर्षा के कारण पौध नष्ट हो गई है, वहाँ मध्यम अवधि की धान की पौध को अनुशंसित उर्वरक मात्रा के साथ तैयार किया जाए, ताकि 7–10 अगस्त, 2025 तक रोपाई के लिए पौध उपलब्ध हो सके।
12. जून और जुलाई माह में हुई अत्यधिक वर्षा के कारण कुएँ, तालाब, नदियाँ और बांध जैसे जल स्रोत पूर्ण रूप से भर गए हैं, जिन्हें अगस्त और सितंबर, 2025 में सूखे की स्थिति उत्पन्न होने पर पूरक/जीवनरक्षक सिंचाई के लिए उपयोग किया जा सकता है।
13. इस अतिरिक्त वर्षा का उपयोग रबी दलहनों एवं तिलहनों जैसे–चना, मसूर, मटर, सरसों और अलसी की बुवाई के लिए भी किया जा सकता है।

सुझाए गए आकस्मिक उपायों को कृषि विभाग, आत्मा, कृषि विज्ञान केंद्रों (KVK) आदि के अधिकारियों के माध्यम से व्यापक रूप से प्रचारित एवं प्रसारित किया जाए, ताकि सभी फसलों का अधिकतम क्षेत्र अच्छे उत्पादन के साथ आच्छादित किया जा सके।